

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खीड़ा मालूधार वाया चुलेरियासिम लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 4.075 किमी0)।

प्रस्तावना :- इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2154/XI/16/56(08)2014 देहरादून दिनांक 09.09.2016 के द्वारा 4.075 किमी0 लम्बाई के लिए प्राप्त हुयी है। लक्षित ग्राम चुलेरियासिम 2.00 किमी0 लम्बाई में जुड़ जाता है एवं मालूधार 4.075 किमी0 लम्बाई में जुड़ जाता है। उक्त मार्ग का निर्माण गोदी खीड़ा बछुवाबाणं मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

मार्ग के निर्माण के लिए 02 समरेखनों पर विचार किया गया है। जिनके गुणावगुण निम्नलिखित हैं:-

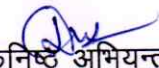
समरेखन नं0 1 :- यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर लाल रंग से दिखाया गया है, यह समरेखन गोदी खीड़ा बछुवाबाणं मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखन में ग्रामवासियों की कोई आपत्ति नहीं है तथा यह समरेखन अधिकतर नाप भूमि से होकर गुजरता है। इस समरेखन में 02 एच0पी0 बैंड आते हैं तथा 46 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

समरेखन नं0 2 :- यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर नीले रंग से दिखाया गया है, यह समरेखन गोदी खीड़ा बछुवाबाणं मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखन में ग्रामवासियों को आपत्ति है तथा यह समरेखन अधिकतर वन भूमि से होकर गुजरता है। इस समरेखन में 02 एच0पी0 बैंड आते हैं तथा बांज के 67 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, तथा अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त दोनों समरेखनों के गुणावगुणों पर विचार करने के उपरान्त समरेखन नं0 1 जो मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, ज्योलीकोट द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है। भूवैज्ञानिक द्वारा भी समरेखन संख्या 01 को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त माना गया है।

उद्देश्य :- इस मार्ग के बन जाने से दोनों ग्रामसभाओं का समुचित विकास हो सकेगा तथा काश्तकारों को अपनी उपज मण्डीयों तक पहुँचाने में सुविधा होगी साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

संस्तुति :- इस प्रकार दोनों समरेखनों पर विचार करने के उपरान्त समरेखन नं0 1 के अनुसार ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किये गये हैं। इस समरेखन में सिविल सोयम भूमि 0.613 हैक्टेयर एवं वन पंचायत भूमि 0.140 हे0 (कुल वन भूमि 0.753 हेक्टेयर) प्रभावित होगी। उक्त वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, द्वाराहाट


सहायक अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, द्वाराहाट


अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, द्वाराहाट